N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0079 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/03/2025 16:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/03/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:15 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/03/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/03/2025 16:29:42 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 72 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARYALAY SAHAYAK, ABHIYANTA JODHPUR DISCOM, JASWANTPURA JALORE

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RAJENDRA KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHURMALJI SUTHAR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SUTHARO KA BAAS JASWANTPURA, JALORE THANA, JASWANTPURA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SUTHARO KA BAAS JASWANTPURA, JALORE THANA, JASWANTPURA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANKIT TIWARI		पिता:SHYAM LAL TIWARI	1. HAAL KANISHATH ABIYANTA,KARYALAY SAHAYAK ABHIYANTA,PAWAS JODHPUR DISCOM,JASWANPURA,SIROHI ,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	7000 हजार रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई।	7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है की मैं राजेन्द्र कुमार S/O श्री भुरमलजी सुथार निवासी- सुथारों का वास, जसवन्तपुरा तह-जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.) का निवासी हूं, मेरा जसवन्तपुरा ग्राम में रामसीन रोड़ पर निर्माणाधिन काम्पलेश है जिसमे 1 KV का सिंगल फेश विधुत कनेकशन लिया हुआ है। उक्त विधुत कनेक्शन का लोड 3 फैश 15 KV करावाने हेतु मेने पत्रावली तैयार कर डिसकॉम कार्यालय जसवन्तपुरा में जमा करवाई जिस पर मुझे पत्रावली जमा होने की 100/- रुपये की रसीद काट कर दि गई। कुछ दिन तक मेरा लोड नहीं बढाने पर मैं डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा में गया जहा मुझे श्री अकिंत तिवारी JEN साहाब मिले, उन्होने मुझे कहा की अभि इस पत्रावली को XEN office भीनमाल भेजेगें जिस पर मैं 20/3/2025 को XEN office भीनमाल गया तो XEN साहाब ने मुझे मेरी उक्त कनेशन की पत्रावली ऑडर सेक्शन करके मुझे दी, और कहा की उक्त प्रत्रावली JEN साहब जसवन्तपुरा को दे देना, वो लोड बढाने की प्रक्रिया चालू कर देगें। मैने उसी रोज प्रत्रावली जसवन्तपुरा पहूंच कर JEN साहाब श्री अकिंत तिवारी को सुपुत्र कर उनसे निवेदन कीया की मेरा उक्त कनेशन का लोड बढाने हेतु डिमांट निकालो तो श्री अकित तिवारी JEN साहाब ने मुझे कहा की डिमॉट नोटिस निकालाने व लोड बढाने के लिए कुछ खर्चा-पानी देना पडेगा, जिस पर मैने उनको कहा की कितना देना पडेगा तब उन्होने कहा की 5-10 हजार रुपये खर्चे पानी के दे देना, एवं उन्होने कहा की बिना खर्चा पानी दिये अपका काम नहीं होगा। मैं मेरे जायज काम को करवाने के एवज में श्री अंकित तिवारी JEN विधुत विभाग जसवन्तपुरा को रिस्वत नहीं देना चाहता हूं उन्हे रिस्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहाता हूं। मेरे व श्री अंकित तिवारी JEN साहाब के मध्य कोई लेन-देन बकाया नहीं है तथा नहीं कोई आपसी रनजीस है। अतः निवेदन है कि मेरी इस रिपोर्ट पर कानुनी कार्यवाही करावें। दिनांकः 25.03.2025, संलग्र 01. आधार कार्ड प्रति, 02. डिस्कॉम की रसीद प्रति प्रार्थी एसडी राजेन्द्र कुमार s/o भुरमलजी सुथार उम्र 34 वर्ष, निवासी सुथारों का वास जसवन्तपुरा, तह. जसवन्तपुरा जिला जालोर (राज) Mob.N. [redacted], कार्यवाही पुलिस दिनांक 25.03.2025 समय 01.00 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूरमलजी जाति सुथार उम्र 34 वर्ष निवासी सुथारों का वास जसवन्तपुरा, तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश कि की मेरा जसवन्तपुरा ग्राम में रामसीन रोड़ पर निर्माणाधिन काम्पलेश है जिसमे 1 KV का सिंगल फेश विधुत कनेकशन लिया हुआ है। उक्त विधुत कनेक्शन का लोड 3 फैश 15 KV करावाने हेतु मेने पत्रावली तैयार कर डिसकॉम कार्यालय जसवन्तपुरा में जमा करवाई जिस पर मुझे पत्रावली जमा होने की 100/- रुपये की रसीद काट कर दि गई। श्री अंकित तिवारी जेईएन डिस्कॉम जसवन्तपुरा द्वारा मेरे निर्माणाधिन काम्पलेक्स का विधुत लोड बढाने की एवज मे 5-10 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है, मैं श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते रंगेहाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। दरियाफ्त पर परिवादी ने उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी होना तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाने पर प्रथमतः रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तथा उपस्थित परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार का परिचय श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 से करवाया जाकर आपस में मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान कराया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में रखा कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चलाने की भली-भाँति समझाईस की गई। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने स्वेच्छा से बताया की मेरे रिश्वतेदारी में किसी का देहांत होने से एक-दो दिन मैं सामाजिक कार्य में व्यस्त रहूँगा इसलिये आरोपी से रिश्वत राशि मांग बाबत् सत्यापन करवाने में आज मजबूरी है। जिस पर

आईन्दा परिवादी के कहेनुसार रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रुकस्त किया गया। दिनांक 27.03.2025 को समयः- 10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नंबर [redacted] जरिये वाट्सअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं आज मेरे सामाजिक कार्य से निवृत हो चुका हूँ तथा श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा अपने कार्यालय में आज उपस्थित रहेगें, मैं आज उनसे मेरे कार्य से संबंधीत वार्ता कर लूंगा। जिस पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मैं श्री गुलाबसिंह कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर जसवन्तपुरा भेज रहा हूँ जो आप से संपर्क कर लेगें, आप श्री गुलाबसिंह कानि. के पहूंचने का इंतजार करें। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री गुलाबसिंह कानि. 140 को कार्यालय कक्ष में तलब कर मन् अति.पुलिस अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड लगाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर श्री गुलाबसिंह कानि. 140 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर जसवन्तपुरा पहूंच परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार से संपर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर लाने हेतु रवाना जसवन्तपुरा के लिए किया गया। तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम.पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 ने जरिये वाट्सअप कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि निर्देशानुसार जसवन्तपुरा पहूंचा जहां परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिला जिनको हमरा लेकर सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के कार्यालय के नजदीक पहूंचा, जहां परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को आवश्यक हिदायत दी जाकर समय 02.14 पी.एम. पर कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से संपर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के कार्यालय के अन्दर रवाना किया तथा मन् कानि. गोपनीयता की दृष्टि से उक्त कार्यालय के इर्द-गिर्द अपनी पहचान छुपाते हुए मुकिम रहा। कुछ ही समय पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा से रवाना होकर पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर मन् कानि. के समक्ष उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. ने पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने मन् कानि. को बताया कि आपके पास से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा में पहूंचा जहां कार्यालय में श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरे निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स में लगे विधुत कनेक्शन का 3 फेस 15 केवी लोड बढाने के संबंध में वार्ता की तो श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब ने मेरे द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई मेरी विधुत कनेक्शन लोड बढाने बाबत् पत्रावली देखकर बताया कि आपके उक्त कनेक्शन के लोड बढाने के लिए 7,000 हजार रुपये मुझे खर्चा-पानी के देने पडेगें तथा एईएन साहब को अलग से देने पडेगें, आदि वार्ता की थी जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर श्री गुलाबसिंह कानि. ने परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी श्री गुलाबसिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत दी की कल दिनांक 28.03.2025 को समय 11.30 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आवें तथा परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री गुलाबसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित हालात में लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 27.03.2025 को समय 05.15 पी.एम. पर श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 कार्यालय हाजा में उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आज दिनांक 27.03.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा में संदिग्ध अधिकारी श्री अंकित तिवारी जेईएन से की गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है जिसके हालात मन् कानि. द्वारा पूर्व में श्रीमान को जरिये वाट्सअप कॉल निवेदन किये गये है। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग की पुष्टी होते हुए श्री गुलाबसिंह कानि. तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल बताये गये हालात की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ कर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा,। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा रिश्वती राशि मांग की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से आईन्दा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति मे तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को समय 11.00 ए.एम.पर प्रस्तावित गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से इस कार्यालय के तहरीर क्रमांक 640 दिनांक 28.03.2025 जिला आबकारी अधिकारी जालोर के नाम स्वतंत्र गवाहान पाबंद कर लाने हेतु श्री भरतसिंह चालक कानि. नं. 501 को सुपुर्द कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 12.05 पी.एम.पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार पूर्व पाबंद सुदा कार्यालय हाजा में मन् अति.पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया तथा बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये साथ लेकर आया हूँ जिस पर स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही का निर्णय लेकर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को गोपनीयता बरतते हुए कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 12.30 पी.एम.पर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 मय दो स्वतंत्र गवाहान के

उपस्थित कार्यालय आया तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जालोर का पत्रांक 1183 दिनांक 28.03.2025 स्वतंत्र गवाह पाबंद का प्रस्तुत किया तथा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक व श्री सुरताराम सिपाही आबकारी थाना जालोर को मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर दोनो स्वतंत्र गवाहन से पृथक-पृथक परिचय प्राप्त किया गया तो एक ने अपना नाम श्री गोपाल परिहार पुत्र श्री केराराम जाति मेघवाल उम्र 31 साल, निवासी बाकरा गांव, तहसील व जिला जालोर, हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर,मो.नं. [redacted] होना तथा दूसरे ने अपना नाम श्री सुरंताराम पुत्र श्री सुखराम, जाति विश्नोई उम्र 55 साल, निवासी मालवीय नगर, भीनमाल जिला जालोर, हाल सिपाही, आबकारी विभाग, आबकारी थाना जालोर,मो.न.[redacted] होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर कार्यालय हाजा में उपस्थित परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय कक्ष में तलब कर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी से परस्पर परिचय करवाया तथा दिनांक 25.03.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाई गई तथा पढाई गई, रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में स्वतंत्र गवाहान ने भी परिवादी से भी विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली की। तत्पश्चात मन् अति.पुलिस अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकार्ड निकालकर ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान रिकार्ड सुदा वार्तालाप को स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी रिकार्ड वार्ता में रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना बताया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर व डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुनने के पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान ने उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान कर परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। समय अभाव के कारण डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को समय- 02.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूरमलजी जाति सुथार निवासी सुथारों का वास जसवन्तपुरा, तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर द्वारा आरोपी श्री अंकित तिवारी JEN डिस्कॉम जसवन्तपुरा, जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 14 नोट कुल राशि 7,000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये, नोटों के नंबर निम्नानुसार है 01. एक पांच सौ रुपये का नोट 2HU 351692, 02.एक पांच सौ रुपये का नोट 7LM 369790, 03. एक पांच सौ रुपये का नोट 6GT 434827, 04. एक पांच सौ रुपये का नोट 9TP 568946, 05. एक पांच सौ रुपये का नोट 5GR 104147, 06. एक पांच सौ रुपये का नोट 2RS 759172, 07. एक पांच सौ रुपये का नोट 6QV 407557, 08. एक पांच सौ रुपये का नोट 3BW 651078, 09. एक पांच सौ रुपये का नोट 4FR 626359, 10. एक पांच सौ रुपये का नोट 9BN 763320 ,11. एक पांच सौ रुपये का नोट 5DD 573979, 12. एक पांच सौ रुपये का नोट 6DM 520908, 13. एक पांच सौ रुपये का नोट 1SC 621786 ,14. एक पांच सौ रुपये का नोट 8BD 848484 तत्पश्चात कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई जाकर पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी 14 नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक से लिरवाई गई तो परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को उसका मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 7,000 रूपये परिवादी राजेन्द्र कुमार के पहने हुए सफेद कुर्ते के साईड की दाहिनी जेब में रखवाए जाकर आवश्यक हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही का दृष्टान्त देकर उपस्थित परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में भली भांति समझाया गया व दिखाया गया, उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये, विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी में अंकित है। रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि .नं. 501 को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु कार्यालय में छोड़ा गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को समय 02.30 पी.एम. पर मन् मांगी लाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं के निजी वाहन से हमराह श्री आदूराम कानि. नं. 142, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री सुरताराम के तथा अन्य निजी वाहन में श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक, श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, श्री कालूराम कानि. 477, श्री करणीदान कानि. 236, स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप-प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा से जसवन्तपुरा की तरफ रवाना होकर समय 03.40 पी.एम.पर जसवन्तपुरा पहूंचे तथा वाहनों को कस्बा जसवन्तपुरा में परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स के आगे रोककर निजी वाहनों को एक तरफ रोड किनारे खड़ा करवाया जाकर समस्त ब्यूरो जाब्ता को कार्यवाही में गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई

की परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के साथ कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के नजदीक पहूंचने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर रिश्वती राशी लेन-देन हेतु रवाना करें। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार वाहन से निचे उतरकर स्वयं के कॉम्पलेक्स के आगे खडी अपनी मोटरसाईकिल को लेकर आया, जिस पर श्री गुलाबसिंह को पूर्व निर्देशानुसार परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा की तरफ रवाना किया तथा परिवादी के पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की मोटरसाईकिल के पिछे रवाना होकर डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा के नजदीक पहूंचे। पूर्व निर्देशानुसार श्री गुलाबसिंह कानि. 140 ने डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता हेतु सहायक अभियंता डिस्कॉम कार्यालय के अन्दर की तरफ रवाना किया तथा श्री गुलाबसिंह कानि. परिवादी के पिछे-पिछे रवाना हुआ एवं मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के निजी वाहानों में बैठे रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त रहे। दिनांक 28.03.2025 को समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नंबर[redacted] से रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के कार्यालय परिसर से मन् मांगीलाल राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर[redacted]पर मिसकॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन हो जाने बाबत् सूचित किया। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा मे प्रवेश हुए, कार्यालय भवन मे दाहिनीं तरफ बने स्टोर रुम के अन्दर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व एक अन्य व्यक्ति मिले, परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के पास पहूंच पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात ट्रेप दल सदस्य श्री करणीदान कानि. को हमरा लाये कार्यालय हाजा का सरकारी विडियो केमरा जिसमे नया मैमोरी कार्ड लगा हुआ को सुपुर्द कर चालू करवाकर कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने पास डिस्कॉम कार्यालय के स्टोर रुम मे खडे व्यक्ति के बारे मे बताया कि यह ही श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरे जसवन्तपुरा मे रामसीन रोड पर स्थित निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स के विधुत कनेक्शन का लोड बढाने की एवज में 7,000 रूपये मांग कर प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बांयी जेब मे रखे है, जो अभी भी इसकी जेब मे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान तथा हमरायान ट्रेप दल का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री अंकित तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी उम्र 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पिछे गांधीनगर आबूरोड जिला सिरोही होना तथा वर्तमान मे कनिष्ट अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा, जिला जालौर होना बताया। जिस पर श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार से रिश्वती राशि 7,000/- रुपये प्राप्त करने के बारे मे पुछा गया तो श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता घबरा गया तथा बताया की श्री राजेन्द्र कुमार के कॉम्पलेक्स के विधुत कनेक्शन का लोड बढाने के लिए 7,000/- रुपये प्राप्त किये है जो मैने गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब मे रखे है जो अभी भी मेरी जेब मे है। पुछने पर श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता ने बताया की श्री राजेन्द्र कुमार के रामसीन रोड जसवन्तपुरा पर स्थित निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स है जिसमे 1 केवी का सिंगल फेस विधुत कनेक्शन लिया हुआ है, उक्त विधुत कनेक्शन का लोड 3 फेस 15 केवी करवाने हेतु पत्रावली तैयार कर श्री राजेन्द्र कुमार ने इस कार्यालय मे जमा करवाई थी, उक्त लोड बढाने की एवज मे मैने श्री राजेन्द्र कुमार से 7,000/- रुपये लिये थे जो अभी भी मेरी जेब मे पडे है। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने स्वेच्छा से बताया कि मेरे रामसीन रोड जसवन्तपुरा पर स्थित निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स है जिसमे 1 केवी का सिंगल फेस विधुत कनेक्शन लिया हुआ है, उक्त विधुत कनेक्शन का लोड 3 फेस 15 केवी करवाने हेतु मैने पत्रावली तैयार कर डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा मे जमा करवाई थी, श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब मुझे लम्बे समय से लोड बढाने के लिये चक्कर लगवा रहे थे तथा दिनांक 27.03.2025 को मै उक्त डिस्कॉम कार्यालय मे श्री अंकित तिवारी से मिला तो इन्होने मेरे उपरोक्त जायज कार्य के लिए 7,000/- रुपये रिश्वत की मांग की थी, आज मै इनके कार्यालय कक्ष मे पहूंचा तो श्री अंकित तिवारी जेईएन साहब मुझे साथ लेकर स्टोर रुम मे आये तथा पूर्व मे तय की गई रिश्वत राशि 7,000/- रुपये मेरे से मांग कर स्वयं के हाथों से गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की बांयी जेब मे रखे है। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर प्रक्रियानुसार अग्रीम हाथ धोवन की कार्यवाही मौके पर ही प्रारंभ करते हुए हमरा लाये प्लास्टीक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल एक गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास में करीब एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अंकित तिवारी के दांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित किया गया तथा चेपों पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को

जलाकर नष्ट करवाया गया । तत्पश्चात एक अन्य प्लास्टीक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास में करीब एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया । तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अंकित तिवारी के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया गया तथा चेपों पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया । ताबाद आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो आरोपी श्री अंकित तिवारी के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब मे एक नोटों की गड्डी पाई गई जिसे बाहर निकलवाया जाकर नोटों को गिनवाया गया तो पांच सौ रुपये-पांच सौ रुपये के कुल 14 नोट कुल राशि 7,000/- रुपये होना पाई गई, जिस पर पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि की प्रति दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री सुरताराम को सुपुर्द कर नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी के अनुसार मिलान कर बताया कि उक्त नोटों के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हूबहू होना पाये गये है, जिनके नंबरों का विवरण फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई में अंकित करवाये गये । तत्पश्चात बरामदा रिश्वती राशि 7,000/- रुपये को एक लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपडे की थैली मे रख सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क R अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया । आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ठ अभियंता की जामा तलाशी मे आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पिछे की बांयी जेब मे एक पर्स मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल परिहार से चेक करवाया गया तो उक्त पर्स मे 10530/- रुपये तथा आरोपी का आई कार्ड, पेन कार्ड होना पाया गया तथा जिन्स पेंट की आगे की जेब मे एक मोबाईल वन प्लस नोड 2 जिसमे एक सीम नं. [redacted] लगी हुई पाया गया, जिस पर आरोपी श्री अंकित तिवारी से उक्त 10530/- रुपये के बारे मे पुछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मै यहां अकेला ही रहता हूँ इसलिए मेरे स्वयं के खर्चे के लिये बैंक से निकाले थे, उक्त राशि के बारे मे आरोपी का जवाब संतोषजनक होने व उक्त राशि संदिग्ध प्रतित नहीं होने से आरोपी के कहेनुसार उक्त पर्स मय राशि 10530 रुपये, आई कार्ड,पेन कार्ड तथा मोबाईल फोन वन प्लस नोड 2 मय सीम के कार्यवाही मे आवश्यकता नहीं होने से सहकर्मी श्री ललीत गेहलोत कनिष्ट अभियंता को सुपुर्द किया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई है, शर्ट के उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री अंकित तिवारी के वक्त वाका पहने हुए शर्ट को उतरवाया जाकर एक अन्य टीशर्ट पहनाई गई । तत्पश्चात प्लास्टीक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल एक गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास में करीब एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया । तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अंकित तिवारी के वक्त वाका पहनी हुई शर्टी की उपरी बांयी जेब को उल्टाकर रंगहीन गिलास के घोल मे डूबो-डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क S-1 व S-2 अंकित किया गया तथा चेपों पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री अंकित तिवारी के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की उक्त जेब को धोवन लेने से गिली हो जाने से पंखे की हवा मे सुखाकर उक्त जेब के अन्दर की तरफ संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त शर्ट को सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क S अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के रामसीन रोड जसवन्तपुरा मे स्थित कॉम्पलेक्स के विधुत कनेक्शन जिसका लोड बढाया जाना था परिवादी की उक्त पत्रावली के बारे मे पुछा गया तो स्टोर रुम के टेबल पर रखे कागजात मेसे परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार की विधुत कनेक्शन पत्रावली निकालकर पेश की जिसका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अवलोकन किया तो पत्रावली के प्रथम पृष्ट पर XEN (OM) Jodhpur Discom, Bhinmal का पत्रांक 1300 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा मार्क कर सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के नाम प्रेषित किया गया है तथा परिवादी की उक्त पत्रावली पृष्ट संख्या 01 से 13 तक होना पाई गई, उक्त पत्रावली के प्रथम पृष्ट तथा अंतिम पृष्ट पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी की उक्त विधुत कनेक्शन पत्रावली की फोटो प्रतियां करवाई जाकर उक्त प्रतियों को उपस्थित श्री ललीत गेहलोत कनिष्ट अभियंता जोधपुर डिस्कॉम डोरडा कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर से प्रमाणित करवाकर फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार का कार्य प्रभावित नहीं हो इस कारण मूल पत्रावली श्री ललीत गेहलोत कनिष्ट अभियंता को आवश्यक निर्देश दिये जाकर सुपुर्द की गई, उपरोक्त कार्यवाही

की फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की जाकर फर्द पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। दौराने कार्यवाही डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लेन-देन के दौरान परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के मध्य हुई वार्तालाप को सुनने हेतु डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो वार्ता रिकार्ड होना पाई गई जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से आईन्दा तैयार करने तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को पृथक से जरिये फर्द जब्त करने का निर्णय लिया गया एवं दौराने कार्यवाही करवाई गई विडियोग्राफी की आईन्दा क्लोन/कॉपी सीडी तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड को पृथक से सील मोहर करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय 07.10 पी.एम.पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में घटनास्थल का रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की निशादेही से नजरी निरीक्षण किया जाकर फर्द नजरी नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल पृथक से तैयार किया जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.35 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता का सेवा विवरण कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर का पत्रांक 2314 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो सेवा विवरण में आरोपी का नाम श्री अंकित तिवारी हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जसवन्तपुरा जिला जालोर होना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को समय 07.45 पी.एम. पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर वजह सबूत जब्त सुदा मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के दाहिने तथा बांये हाथ की अंगूलियों व अगूंठे का लिया गया धोवन सील सुदा मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, बरामद रिश्वती राशि सील सुदा पैकेट मार्क R, रिश्वती राशि बरामदा स्थल आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब का धोवन सील सुदा मार्क S-1, S-2, आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट सील सुदा पैकेट मार्क S इत्यादि ट्रेप बॉक्स में रखवाये जाकर सुरक्षा की दृष्टि से श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुपुर्द किया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अति.पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 28.03.2025 को समय 08.00 पी.एम.पर उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री अंकित तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी उम्र 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पिछे गांधीनगर आबूरोड जिला सिरोही हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर द्वारा किये गये जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) से आगाह किया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उसके सहकर्मी श्री ललीत गेहलोत कनिष्ट अभियंता जोधपुर डिस्कॉम डोरडा, जसवन्तपुरा जिला जालोर को मो.नं[redacted] पर दी गई, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद समय 08.55 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक, श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, श्री आदूराम कानि. नं. 142, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि. 477, श्री करणीदान कानि. 236 परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री सुरताराम व श्री गोपाल परिहार बमय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता, फर्दात के मुताबिक जब्त सुदा मालखाना आईट्म, ट्रेप बॉक्स, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप-प्रिन्टर इत्यादि आवश्यक सामग्री के जसवन्तपुरा से जरिये निजी वाहनों के कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जालोर के लिए रवाना होकर समय 09.50 पी.एम. पर समस्त हमरायान के कस्बा रामसीन के नजदीक पहूंच हमरायान को ढाबे पर रात्रि भोजन करवाया जाकर रवाना होकर समय 11.00 पी.एम.पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जालोर पहूंचा। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अंकित तिवारी की निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि. 477 व श्री गुलाबसिंह कानि. 140 को मामूर किया गया। ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आईटम्स सुरक्षा की दृष्टि से श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। समय 11.30 पी.एम.पर गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय जालोर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जालोर के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री कालूराम कानि. 477 मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अंकित तिवारी के जरिये वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री भरतसिंह कानि. 501 के आवश्यक हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया था जो दिनांक 29.03.2025 को समय 12.20 ए.एम.पर आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाकर हाजिर आया, आरोपी श्री अंकित तिवारी के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा करवाने बाबत् रोजनामचा आम रपट की प्रति लाकर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 29.03.2025 को समय 12.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार की मौजूदगी में परिवादी व आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर के मध्य दिनांक 27.03.2025 को रुबरु हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से रुबरु स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को सुन-सुनकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्तालाप की कम्प्यूटर के माध्यम से दो क्लोन/डब सीडी तैयार कर खुली हालात में रखी गई

जिनमे से एक डब सीडी एवं एक सीडी आई.ओ. के लिये रखी गई। आरोपी श्री अंकित तिवारी एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त वार्ता की हैश वैल्यू निकाली गई जो C500ECB4ED78484FBFFD77BEB9887F99E7390D9046A799FD1DE8D37F70C7C164 है। दिनांक 29.03.2025 को समय 01.20 ए.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार की मौजूदगी में परिवादी व आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर के मध्य दिनांक 28.03.2025 को रुबरु हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से रुबरु स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को सुन-सुनकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्तालाप की कम्प्यूटर के माध्यम से दो क्लोन/डब सीडी तैयार कर खुली हालात में रखी गई जिनमे से एक डब सीडी एवं एक सीडी आई.ओ. के लिये रखी गई। आरोपी श्री अंकित तिवारी एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त वार्ता की हैश वैल्यू निकाली गई जो 3A80C01766C9095C1B7B8297D700DD0D221D40DFEF8BA737502F90ED518F76B6 है। तत्पश्चात समय 02.20 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगा मैमोरी कार्ड जिसमे दिनांक 27.03.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के मध्य रुबरु हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 28.03.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व आरोपी श्री अंकित कुमार कनिष्ट अभियंता के मध्य रुबरु हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता पृथक-पृथक रिकार्ड है। उक्त पृथक-पृथक रिकॉर्ड वार्ताओं की कम्प्यूटर के माध्यम से दो-दो डब/क्लोन सीडीयां तैयार की गई थी जिनको खुली हालात मे रखा गया था। कार्यालय हाजा के उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगा मूल मैमोरी कार्ड जिसमे रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की पृथक-पृथक हैश वैल्यू श्री करणीदान कानि. नं. 236 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर के माध्यम से निकलवाई जाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता में अंकित करवाई गई थी, उक्त मूल मैमोरी कार्ड डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से सुरक्षित बाहर निकाला जाकर पृथक से जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर एक प्लास्टिक के कवर में डाल कर उक्त प्लास्टिक के कवर को मैमोरी कार्ड सहित कागज के सफेद लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर मार्क M अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये, मैमोरी कार्ड का विवरण व हैश वेल्यू फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड में अंकित है। दिनांक 29.03.2025 को समय 03.00 ए.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे रिश्वती राशि बरामदगी एवं धोवन कार्यवाही, फर्द घटनास्थल निरीक्षण की विडियोग्राफी श्री करणीदान कानि. नं. 236 से कार्यालय हाजा के विडियो केमरा से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, जो विडियो केमरा में लगे मेमोरी कार्ड में सेव है। उक्त मूल ही मेमोरी कार्ड को विडियो केमरा से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय कम्प्यूटर के माध्यम से तीन क्लोन/कॉपी सीडीयां तैयार करवाई गई, मूल ही मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर एक प्लास्टिक के कवर में पैक कर, एक कागज के सफेद लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर मार्क V अंकित किया गया तथा थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। क्लोन/कॉपी सीडीयों को खुली हालत में रखा गया, फर्द जब्ती शामिल पत्रावली की गई। समय 03.30 ए.एम. पर प्रकरण हाजा में मुर्तिब शुदा समस्त फर्दात् तथा बतौर वजह सबूत जब्त शुदा आर्टिकल्स/मालखाना आईटम्स को सील्ड करने में प्रयुक्त की गई कार्यालय हाजा की पीतल की मोहर की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 29.03.2025 को समय 06.00 ए.एम.पर मन मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त शुदा मालखान आइटम क्रमश आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के दाहिने तथा बांये हाथ की अंगूलियों व अगूंठे का लिया गया धोवन सील सुदा मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, बरामद रिश्वती राशि सील सुदा पैकेट मार्क R, रिश्वती राशि बरामदा स्थल आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब का धोवन सील सुदा मार्क S-1, S-2, आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट सील सुदा पैकेट मार्क S, रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली मे सील सुदा मार्क M व ट्रेप कार्यवाही के दौरान करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में सील सुदा मार्क V तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की एक डब व एक आई.ओ. सीडी, रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप की एक डब व एक आई.ओ. सीडी तथा विडियोग्राफी की तीन डब सीडी खुली हालात में इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुपुर्द किया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 08.20 ए.एम. पर आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता को पुलिस थाना कोतवाली की हवालात से सुरक्षित प्राप्त कर कार्यालय हाजा पर लाकर सुरक्षार्थ निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि. 477 व श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को आवश्यक

हिदायत कर मामूर किया गया। आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता को पेश अदालत करने हेतु डिमाण्ड फार्म मूर्तिब कर पेश अदालत किया जावेगा।

उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार का कस्बा जसवन्तपुरा में रामसीन रोड पर एक निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स आया हुआ है, उक्त कॉम्पलेक्स में सिंगल फेस 1 केवी का विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं के कॉम्पलेक्स के उक्त विधुत कनेक्शन का विधुत भार (लोड) थ्री फेस 15 केवी करवाने हेतु पत्रावली तैयार कर कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा में जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त की गई। परिवादी की उक्त विधुत कनेक्शन की पत्रावली डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा से एक्सईएन कार्यालय भीनमाल जिला जालौर भेजी गई जिस पर उक्त पत्रावली कार्यालय अधिशाषी अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम भीनमाल के पत्रांक 1300 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा परिवादी के उक्त 1 केवी सिंगल फेस कनेक्शन को 3 फेस 15 केवी करने की स्वीकृति दी गई जो उक्त पत्रावली दिनांक 20.03.2025 को परिवादी ने स्वयं लाकर डिस्कॉम कार्यालय जसवन्तपुरा में दी। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के विधुत कनेक्शन को 3 फेस 15 केवी का करने की एवज मे कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा में कार्यरत श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता द्वारा अवैध रुप से लोक सेवक होते हुए परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर परेशान करने पर परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 27.03.2025 को करवाया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता द्वारा परिवादी से उसके जायज कार्य को करने की एवज में 7,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टी हुई, दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन आरोपी श्री अंकित तिवाडी कनिष्ट अभियंता द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को स्वयं के लिये 7,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए श्री शंभूसिंह राव, सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा के लिये अलग से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर दिनांक 28.03.2025 को रुबरु स्वतंत्र गवाहान ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपी श्री अंकित तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी उम्र 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पिछे गांधीनगर आबूरोड जिला सिरोही हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार से उसके जायज कार्य कॉम्पलेक्स के 1 केवी सिंगल फेस विधुत कनेक्शन का विधुत भार (लोड) बढाकर 15 केवी 3 फेस करने की एवज में 7,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए को रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के दौरान आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को श्री शंभूसिंह राव सहायक अभियंता से मिलने के लिये जिक्र कर रहा है। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के विधुत कनेक्शन पत्रावली का अवलोकन करने पर भी अधिशाषी अभियंता डिस्कॉम भीनमाल द्वारा अपने पत्रांक 1300 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा परिवादी के कार्य पूर्ण करने बाबत् आदेशित करने के उपरांत भी श्री शंभूसिंह राव सहायक अभियंता तथा आरोपी श्री अंकित तिवारी कनिष्ट अभियंता द्वारा पत्रावली में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना पाया गया है, जिससे श्री शंभूसिंह राव सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा की इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा संलिप्तता प्रतित होती है। आरोपी श्री अंकित तिवारी हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री अंकित तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी उम्र 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पिछे गांधीनगर आबूरोड जिला सिरोही हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय सही (मांगीलाल राठौड़) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर। ....कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अंकित तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी उम्र 28 साल,जाति ब्राहम्ण निवासी पारसनाथ फैक्ट्री के पीछे गांधीनगर आबूरोड़ जिला सिरोही हाल कनिष्ट अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री खींवसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो पाली-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 440 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 464-67 दिनांक 29.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर, 3.संभागीय मुख्य अभियंता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाडमेर संभाग, बाडमेर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जालोर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** khinw SINGH **Rank** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/03/2025 16:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)